

वन भूमि की विस्तृत आख्या/औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा-भिकियासैण मोटर मार्ग का निर्माण।
(17.400किमी.)(4.676है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 6108/III(2)/14-33(प्रा.आ.)/ दिनांक 19.09.2016 के द्वारा 17.400 किमी. लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु रूपया 335.40 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

यह मार्ग 17.400 किमी. लम्बी है, जिसमें समरेखण हेतु स्थानीय जनता एवं ग्राम वासियों के साथ मिलकर विभाग द्वारा सर्व प्रथम हवाई सर्वे किया गया व अन्य स्थानों से भी मार्ग निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया गया जिसमें अधिक वन भूमि व वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। परन्तु इस मार्ग निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किये गये समरेखण में न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती हो।

अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण में 3.486है0 सिविल बेनाप व वन पंचायत 1.190है0 सहित कुल 4.676है0 वन भूमि प्रभावित होती है तथा 10.940है0 नाप भूमि प्रभावित होती है इस हेतु कुल 4.676है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।



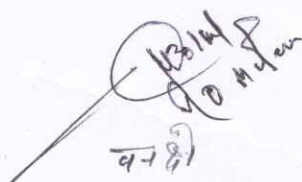
कनिष्ट अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



वन विभाग

उपप्राणीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन विभाग अल्मोड़ा

प्रशासकीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन विभाग, अल्मोड़ा